प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 11

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी,एसीबी, स्पेशल यूनिट अजमेर ......थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022...
प्र. इ. रि. स. 41/2023 दिनांक 16/2/2023
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0नि0अधिनियम(यथा सशोंधन 2018) अधिनियम 1988 ......धारायें...7, 7ए पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018)..........
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....120बी भा.द.सं.......
(स) अधिनियम ....धारायें........
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 291 समय 3:00 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 15.02.2023 समय 06.03 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 26.12.2022 समय.......02.15 पी.एम.......
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक –
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 161 किलोमीटर.........
(ब) पता – मून्दड़ा सर्किल के पास, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर
.........बीट सख्या ....जरायमदेही सं.........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..........जिला.......
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री लालाराम गहलोत.........
(ब) पिता का नाम श्री भीखाराम ....
(स) जन्म तिथि /वर्ष साल..............30 साल.........
(द) राष्ट्रीयता........भारतीय ....जारी होने की जगह.........
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........
(र) व्यवसाय...... ....शराब की दुकान.........
(ल) पता ... चम्पा बेरा भोपाजी की ढ़ाणी कोसना, जोधपुर ....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1. श्री सोमराज विश्नोई पुत्र श्री भगवानाराम उम्र 55 साल जाति विश्नोई निवासी प्लाट नं. 9, मारवाड़ अस्पताल के पास, मण्डोर, जोधपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बिलाड़ा, जिला जोधपुर
2. आरोपी श्री सुनील विश्नोई पुत्र श्री मांगीलाल विश्नोई उम्र 22 साल निवासी 34, सूर्यनगर, बिजेश कॉलोनी, पुलिस थाना महामन्दिर जोधपुर हाल प्राईवेट वाहन चालक आबकारी कार्यालय, बिलाड़ा, जिला जोधपुर ....

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.........
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.........25,000 रू0 रिश्वत राशि.........
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).........
.........25,000 रू. रिश्वत राशि ....
11 ....
विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी लालाराम गहलोत पुत्र श्री भीखाराम जाति माली उम्र 27 वर्ष ग्राम कोसाना पीपाड़ शहर जोधपुर का मूल निवासी हूँ तथा मैं ग्राम पीपाड़ शहर के वार्ड संख्या 35 में शराब की दुकान चलाता हूँ। उक्त दुकान मेरे पार्टनर श्री रामप्रकाश चौहान पुत्र श्री हड़मान राम के नाम से आवंटन हो रखी हैं तथा वह स्वयम् अनुज्ञाधारी है। उक्त शराब की दुकान के संचालन मे हम पार्टनर है, जिसमे मैं भी साझेदार हूँ तथा दुकान का संचालन एंव लेन–देन का हिसाब किताब मैं ही करता हूँ। उक्त दूकान के संचालन करने पर आबकारी विभाग बिलाड़ा के सीआई सोमराज विश्नोई है मेरे से केश नही बनाने की एवज में 20 हजार रूपये की मासिक बंदी के प्राप्त कर रहे हैं। मैं पिछले 2–3 माह से बंदी नही दे रहा हूँ जिस पर वह मुझे केस बनाने की धमकी देकर बकाया दो माह की 40 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग रहे है तथा मुझे दुकान पर आकर धमकिया दे रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले में सोमराज विश्नोई को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ वरना रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। अतः आप से अनुरोध है कि आप कानूनी कार्यवाही करें। भवदीय, एस.डी. लालाराम गहलोत मो.नं. 8003135139

कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर

दिनांक 26.12.2022 को श्री राकेश कुमार वर्मा उप अधीक्षक पुलिस को भ्र0नि0ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर द्वारा संचालित हैल्प लाईन नम्बर 1064 के जरिए उच्चाधिकारियो से सूचना व निर्देश प्राप्त हुए कि परिवादी श्री लालाराम गहलोत पुत्र श्री भीखाराम निवासी चम्पा बेरा भोपाजी की ढाणी कोसना, जोधपुर के मोबाईल नम्बर 8003135139 से रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाए जाने के सम्बन्ध मे परिवादी से सम्पर्क कर आवश्यक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जावें। प्राप्त सूचना के आधार पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता की गई तो परिवादी ने अवगत कराया कि वह उपरोक्त पते का निवासी है तथा ग्राम पीपाड शहर के वार्ड नं0 35 मे अनुज्ञाधारी श्री रामप्रकाश चौहान पुत्र हनुमानराम के नाम से आबकारी विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापत्र शराब की दुकान का संचालन करता है तथा उसमे कुल चार पार्टनर है। जिसमे सभी पार्टनर मिलकर उक्त दुकान का लेन–देन, हिसाब–किताब व सैल्समेनी का कार्य संचालन करते है। उक्त दुकान के संचालन मे आबकारी विभाग व राज्य सरकार द्वारा जारी नियमो के अनुरूप ही शराब का बेचान करते है। जिसमे आबकारी विभाग मे किसी प्रकार की कोई बकाया राशि एवं किसी प्रकार का कोई चालान अथवा मुकदमे की कार्यवाही नहीं की हुई है। उक्त दुकान को संचालन करने एवं विभागीय नियमो की पालना करने के उपरान्त भी श्री सोमराज विश्नोई आबकारी निरीक्षक आबकारी विभाग बिलाडा के द्वारा मुकदमा बनाने की धमकी देकर मेरे से उक्त दुकान का संचालन किए जाने की एवज मे प्रति माह 20,000 रू0 मासिक बंदी के रूप मे मांग रहा है। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई नाजायज कार्य नहीं किया जा रहा है एवं ना ही मैने किसी प्रकार की कोई दूसरी ब्रांच खोल रखी है। जबकि शहर मे अन्य लाईसेंसधारियों द्वारा दुकानो का संचालन करने एवं अन्य ब्रांचे स्थापित करने, माल बेचने की एवज मे श्री सोमराज विश्नोई प्रति माह उनसे भी 20–25 हजार रू0 की मासिक बंदी प्राप्त कर रहा है। मै अपने जायज काम के बदले मे श्री सोमराज विश्नोई आबकारी निरीक्षक को 20,000 रू0 की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। उसे रिश्वत राशि लेते हुए का रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया कि आरोपी उक्त मासिक बंदी लेने हेतु माह के प्रथम सप्ताह मे दिनांक 10 तक कभी भी आ सकता है तथा आने से पूर्व करीब आधा घण्टे पहले ही मुझे जरिए मोबाईल अवगत करवाता है तथा रिश्वत राशि प्राप्त करते समय किसी से कोई वार्ता नहीं करता है तथा उसके आने का कोई समय भी निश्चित नहीं है। जिस पर परिवादी द्वारा जरिए दूरभाष बताए गए हालात के आधार पर मामला पीसी एक्ट (संशोधन) 2018 का घटित होने की संभावना होने से उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री लालाराम को अजमेर कार्यालय मे उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं दुकान से सम्बन्धित दस्तावेज लाने, रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाए जाने हेतु कहा गया, तो परिवादी ने बताया कि आप पीपाड शहर मे आ जावें मै आपको अपना प्रार्थना पत्र भी दे दूंगा एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे मे कार्यवाही करवा दूंगा। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित मांग सत्यापन किए जाने हेतु अपने कार्यालय के कर्मचारी को भिजवाये जाने का कहा। परिवादी ने बताया कि आप अपने कर्मचारी को दिनांक 02.01.23 को पीपाड शहर मे मेरे मोबाईल नम्बर देकर भिजवा देवें। मैं उनको पीपाड शहर मे ही उपस्थित मिलूंगा तथा आरोपी से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मोबाईल पर की गई दरियाफ्त के आधार पर परिवादी को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान कर बताए गए समय पर कार्यालय के कानि0 श्री अर्जुन लाल कानि0 नं0 244 को पीपाड शहर भिजवाए जाने हेतु अवगत कराया गया। कार्यालय के श्री अर्जुनलाल कानि0 को आवश्यक गोपनीय कार्यवाही किए जाने के लिये परिवादी के मोबाईल नं0 उपलब्ध करवाकर कार्यालय से डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड लेकर दिनांक 02.01.23 को पीपाड शहर जाने तथा गोपनीयता बरतने के निर्देश प्रदान किये गए। दिनांक 02.01.2023 को श्री अर्जुनलाल कानि0 नं0 244 को सरकारी डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर परिवादी के मोबाईल नं0 एवं की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए रिश्वत राशि मांग सत्यापन के लिए कार्यालय से पीपाड शहर जोधपुर के लिए रवाना किया गया। दिनांक 07.01.2023 को कानि0 श्री अर्जुनलाल नं0 244, एसीबी एस.यू. ने उप अधीक्षक पुलिस को जरिए मोबाईल अवगत कराया कि परिवादी व आरोपी के मध्य किसी प्रकार की कोई मांग सत्यापन एवं दूरभाष पर कोई वार्ता नहीं हुई है। जरिए सूत्र मालुम करने पर

आरोपी के उपस्थित आने की भी कोई सूचना नहीं मिली है। जिस पर कानि0 श्री अर्जुनलाल को कार्यालय उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये। दिनांक 07.01.2023 समय करीब 08.00 पीएम पर कानि0 श्री अर्जुनलाल उपस्थित आया, जिससे डिजीटल वॉइस रेकार्डर एवं मैमोरी कार्ड उपस्थित श्री भरत सिंह कानि0 को संभलाया गया। दिनांक 08.01.2023 को श्री भरत सिंह कानि0 नं0 18 को डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी के मोबाईल नं0 एवं की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए रिश्वत राशि मांग सत्यापन के लिए कार्यालय से पीपाड शहर जोधपुर के लिए रवाना किया गया। दिनांक 11.01.2023 को उप अधीक्षक पुलिस को श्री भरत सिंह कानि0 ने जरिए दूरभाष अवगत कराया कि "परिवादी श्री लालाराम व आरोपी श्री सोमराज विश्नोई के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध मे वार्ता हो चुकी है। वार्ता के अनुसार आरोपी ने परिवादी से 40,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 15,000 रू0 मौके पर ही प्राप्त कर शेष 25,000 रू0 आईन्दा अपने परीचित पार्टनर श्री राधेश्याम अन्य अनुज्ञाधारी को देने हेतु कहा है। भरत सिंह ने अवगत कराया कि समय करीब 03.01 पीएम पर आरोपी श्री सोमराज ने अपने मोबाईल नं0 9414494527 से परिवादी श्री लालाराम के मोबाईल नं0 8003135139 पर वार्ता कर उसकी पीपाड स्थित शराब की दुकान पर आने हेतु कहा तथा रूपये की व्यवस्था करने की कहकर अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड की गई है। उक्त वार्ता के पश्चात समय करीब 03.57 पीएम पर आरोपी श्री सोमराज परिवादी की शराब की दुकान पर अपने वाहन से उपस्थित हुआ तथा गाडी मे बैठे–बैठे परिवादी से वार्ता की। मेरे द्वारा आरोपी के परिवादी की दुकान पर आने से पूर्व ही डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द कर वार्ता को रिकार्ड करने हेतु रवाना किया। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता मे परिवादी ने आरोपी को बताया कि अभी मेरे पास रूपये की व्यवस्था नहीं हुई है मै आपको व्यवस्था करके बता देता हूँ। जिस पर आरोपी ने परिवादी को बताया कि रूपये मै अभी आपसे एक घण्टे के बाद आकर प्राप्त कर लूंगा, इतना कहकर आरोपी दुकान से रवाना हो गया। परिवादी द्वारा दर्ज की गई वार्ता का डिजीटल वॉइस रेकार्डर चालु हालात मे मन् कानि0 को सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। कुछ समय बाद आरोपी पुनः अपने वाहन से परिवादी की दुकान पर उपस्थित आया। जिस पर वार्ता से पूर्व मेरे द्वारा परिवादी को अपना छुपाव हासिल करते हुए की जाने वाली वार्ता को दर्ज किए जाने हेतु रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया। आरोपी परिवादी की शराब की दुकान के सामने ही गाडी मे बैठे–बैठे परिवादी से वार्ता करता हुआ स्पष्ट नजर आया। आरोपी के जाने के बाद परिवादी ने कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु हालात मे मुझे सुपुर्द किया। जिस पर मेरे द्वारा वॉइस रेकार्डर को बंद कर सुरक्षित हालात मे अपने पास रखा गया।" परिवादी से आरोपी के मध्य हुई वार्ता बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री सोमराज ने मेरे से 40,000 रू0 की मंथली का पिछला हिसाब किताब बताते हुए 15,000 रू0 मौके पर मांग सत्यापन के समय प्राप्त कर लिए है तथा शेष 25,000 रू0 एक–दो दिन बाद मे अपने परीचित श्री राधेश्याम को देने हेतु बताया है। वार्ता के दौरान आरोपी ने मेरी दुकान से प्रति माह 20,000 रू0 की रिश्वत राशि मासिक बंदी के रूप मे प्राप्त करने का हिसाब भी बताया है। मेरी करीब दो–तीन माह से मंथली की राशि देने मे कठीनाई आने से बकाया चल रही है। अतः पिछले माह की मंथली बकाया होने से 40,000 रू0 की मांग करते हुए 15,000 रू0 अभी वार्ता के दौरान प्राप्त किए है तथा शेष 25,000 रू0 एक–दो दिन बाद अपने परिचित पार्टनर श्री राधेश्याम को देने हेतु कहा है। श्री राधेश्याम व आरोपी श्री सोमराज के मध्य पीपाड शहर मे ही एक अन्य शराब की दुकान दोनो ने सहभागीदारी मे संचालित कर रखी है। आरोपी अपनी वसूली की राशि श्री राधेश्याम को दिलवाता है, परन्तु मेरे व राधेश्याम के मध्य अनबन होने से वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा। जिस पर मेरे द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे दर्ज आवाज को सुना गया तो परिवादी से आरोपी ने 15,000 रू0 प्राप्त करते हुए शेष 25,000 रू0 अपने परीचित को दिलवाए जाने की वार्ता दर्ज होने की पुष्टि हुई है। श्री भरत सिंह द्वारा उपरोक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता तथ्यों के बारे मे उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया गया। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से वार्ता की गई वार्ता के अनुसार उपरोक्त तथ्यों की ताईद हुई। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के श्री भरत सिंह को ग्राम पीपाड शहर मे ही उपस्थित रहने के

निर्देश देकर दिनांक 12.01.23 को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पीपाड शहर आने के बारे मे अवगत कराया गया। दिनांक 12.01.23 को श्री राकेश वर्मा उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान श्री कन्हैयालाल स0उ0नि0, श्री राजेश हैड कानि0 नं0 114 मय सरकारी वाहन व चालक के अजमेर से रवाना होकर पीपाड शहर स्थित लक्ष्मी होटल पर पहुचा। जहा कार्यालय के श्री भरत सिंह कानि0 उपस्थित मिला। कानि0 श्री भरत सिंह ने उपस्थित अन्य व्यक्ति का श्री लालाराम परिवादी के रूप मे मेरे से परिचय कराया। उपस्थित परिवादी श्री लालाराम से परिचय लिया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता बाबत पूछताछ की गई। परिवादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र उप अधीक्षक पुलिस को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट अजमेर के नाम से सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया। प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र का उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अवलोकन कर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की गई तो परिवादी ने दरियाफ्त पर अवगत कराया कि मैने ग्राम पीपाड शहर के वार्ड नं0 35 मे श्री रामप्रकाश पुत्र श्री हनुमानराम के नाम आवंटित शराब की दुकान आपस मे सहभागीदारी मे संचालित कर रखी है। जिसका संचालन मै स्वयं करता हूँ। जिसका मेरे व मेरे पार्टनरो के मध्य मे पार्टनरशिपता की लिखा पढी भी स्टाम्प पेपर पर हो रखी है। उक्त स्टाम्प पेपर की फोटो प्रति उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की गई। उक्त दुकान के संचालन करने मे आबकारी विभाग बिलाडा के आबकारी निरीक्षक श्री सोमराज विश्नोई मेरे को डरा धमकाकर मुकदमा बनाने की धमकी देकर प्रति माह 20,000 रू0 की रिश्वत राशि ले रहे है। मै मेरी दुकान को आबकारी विभाग के नियमो के मुताबिक ही संचालन कर रहा हूँ। मेरी किसी प्रकार की ब्रांच भी नहीं है। उसके बावजूद भी श्री सोमराज विश्नोई मेरे से मासिक बंदी के रूप मे 20,000 रू0 प्राप्त कर रहे है। मै अपने जायज काम के बदले मे श्री सोमराज विश्नोई को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। मेरी आबकारी विभाग मे किसी प्रकार की कोई राजकीय राशि अथवा चालान की राशि भी बकाया नहीं है एवं नाही राज्य सरकार की कोई राशि वसूली योग्य शेष है। मेरी श्री सोमराज आबकारी निरीक्षक से किसी प्रकार की रंजिश नहीं है एवं नाही किसी प्रकार का कोई उधार का लेन–देन बाकी है। परिवादी द्वारा बताए गए तथ्यों की ताईद हेतु परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता जो सरकारी डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे दर्ज है को सुना गया तो परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय 40,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग करते हुए 15,000 रू0 मौके पर ही प्राप्त किया जाना तथा शेष 25,000 रू0 आईन्दा अपने परिचित श्री राधेश्याम को दिए जाने की ताईद हुई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र के बाबत पूछने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलेखनी से लिखा जाकर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा उक्त कार्यवाही स्वयं द्वारा किये जाने हेतु बताया गया। इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर परिवादी से रिश्वत राशि दिए जाने बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री सोमराज विश्नोई चालाक व शातिर प्रवृति का व्यक्ति है, वह स्वयं रिश्वत राशि नहीं लेकर किसी दुसरे व्यक्ति को दिलाना चाहता है। वह मोबाईल पर वार्ता नहीं कर बिना पूर्व सूचना मेरी दुकान पर प्रत्येक माह 01 से 10 तारीख के मध्य रिश्वत राशि लेने आता है। कल दिनांक 11.01.23 को उसने मेरे से 40,000 रू0 की मांग करते हुए 15,000 रू0 स्वयं ने प्राप्त किए है तथा शेष 25,000 रू0 की राशि अपने परिचित व्यक्ति श्री राधेश्याम को देने हेतु कहा है। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से राधेश्याम के बारे मे जानकारी ली गई तो उसने अवगत कराया कि आरोपी श्री सोमराज व राधेश्याम के मध्य पीपाड शहर मे ही एक अन्य शराब की दुकान सांझेदारी मे संचालित कर रखी है तथा राधेश्याम ही उसकी अवैध वसूली राशि दुकानो से प्राप्त कर लेन–देन करता है, मेरे व राधेश्याम के मध्य आपस मे दुकान की बिक्री को लेकर विवाद है। जिसकी वजह से वह मेरे से शराब की मंथली लेने नहीं आता है बाकि शेष वृत बिलाडा की 67 दुकानो की मंथली वह स्वयं आरोपी श्री सोमराज के साथ जाकर लेन–देन की कार्यवाही मे सम्मिलित रहता है। आरोपी से वार्ता के अनुसार श्री राधेश्याम को रिश्वत राशि देने हेतु कहा गया है परन्तु राधेश्याम रिश्वत राशि लेने परिवादी के पास उपस्थित नहीं आया है। परिवादी ने अवगत कराया कि आरोपी श्री सोमराज जोधपुर मे निवास करता है। मैने उसको रिश्वत राशि जोधपुर आकर दे देने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, परन्तु मेरी निजी जानकारी के अनुसार आरोपी मेरे से जोधपुर मे रिश्वत राशि का आदान–प्रदान कर सकता है। आरोपी के बताएअनुसार रिश्वत राशि लेने के लिये दो–तीन दिन राधेश्याम का ईन्तजार किया जाना

उचित प्रतीत होता है। राधेश्याम के द्वारा रिश्वत राशि लेने नहीं आने की स्थिति मे परिवादी के बताएअनुसार आईन्दा रिश्वत राशि आदान–प्रदान की कार्यवाही की जावेंगी। इस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो को कब्जे एसीबी लिया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी को रिश्वत राशि लेन–देन हेतु 25,000 रू0 की रिश्वत राशि प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी 25,000 रू0 की व्यवस्था नहीं है। मै आईन्दा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके समक्ष उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर गोपनीयता बनाए रखने एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाकर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ के परिवादी को फारिक कर पीपाड़ शहर से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया। जहां परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुरक्षित कार्यालय की आलमारी मे रखा गया। दिनांक 16.01.2023 को परिवादी श्री लालाराम ने जरिए दूरभाष सूचना दी कि मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था हो चुकी है तथा आरोपी श्री सोमराज आबकारी निरीक्षक के भी जरिए सूत्र जानकारी प्राप्त करने पर आज पीपाड शहर मे आने की सूचना प्राप्त हुई है। आरोपी के उपस्थित होने पर आज रिश्वत राशि का लेन–देन किया जा सकता है। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को कार्यालय मे उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये गए तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये श्री अर्जुन कानि0 स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र जॉन ऑर वरिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) अजमेर एवं श्री अतुल कुमार सैन सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को तलब कर उनको परिचय देकर परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात् परिवादी श्री लालाराम उपस्थित कार्यालय आए। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत परिवादी से तलबशुदा गवाहान श्री जितेन्द्र जॉन ऑर, श्री अतुल कुमार सैन का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में आरोपी श्री सोमराज आबकारी निरीक्षक व परिवादी श्री लालाराम के मध्य दिनांक 11.01.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशों को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपी श्री सोमराज आबकारी निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री लालाराम की शराब की दुकान संचालित करने की एवज मे 40,000 रू0 की मांग कर 15,000 रू0 प्राप्त करना व शेष 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग किए जाने की ताईद की एवं उपस्थित गवाहान द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। समय 03.50 पीएम पर कार्यालय के श्री अर्जुन राम कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द व शब्द तैयार की करवाई जाकर फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सील्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया गया तथा कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई सीडी को शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री लालाराम को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री सोमराज आबकारी निरीक्षक आबकारी विभाग बिलाडा जिला जोधपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से निकाल कर 2–2 हजार रूपये के पांच नोट एवं पांच–पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 25,000 रूपये की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट प्रस्तुत किए। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटों के दोनों ओर कार्यालय के श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की

जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलायें जाकर परिवादी श्री लालाराम को रिश्वत राशि देने के पश्चात किये जाने वाले ईशारे के बारे में अवगत कराया गया तथा गोपनीयता बरतने के निर्देश दिये गये। परिवादी द्वारा उप अधीक्षक पुलिस को बताए गए तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री सोमराज आबकारी निरीक्षक को रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व उसकी उपस्थिति के बारे मे जानकारी ली गई तो आरोपी का पीपाड शहर मे आने के सम्बन्ध मे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा सूत्रों ने अवगत कराया कि आज वह किसी कारण से बाहर गया हुआ है। अतः आज वह पीपाड शहर मे नहीं आएगा। जिस पर परिवादी से लेन–देन मे प्रयुक्त की जाने वाली राशि को एक सफेद कागज के लिफाफे मे सुरक्षित हालात मे रखवायी गई तथा वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को भी सुरक्षित हालात मे प्राप्त किया जाकर उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी व गवाहान को गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत प्रदान कर रूख्स्त किया गया। दिनांक 17.01.2023 को परिवादी श्री लालाराम ने जरिए दूरभाष अवगत कराया कि आज आरोपी के पीपाड शहर आने की संभावना है। क्योंकि उनके आज विभाग मे किसी अधिकारी/कर्मचारी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिसमे आरोपी के उपस्थित होने की पूर्ण संभावना है। अतः परिवादी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री राकेश कुमार वर्मा उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ, श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक को लिफाफे मे रखी रिश्वत राशि सुरक्षित संभलाकर मय स्वतन्त्र गवाह के अजमेर से पीपाड शहर पहुचे। जहा परिवादी से सम्पर्क किया। परिवादी से आरोपी की उपस्थिति के बारे मे जानकारी ली गई तो परिवादी ने अवगत कराया कि आबकारी विभाग पीपाड मे आज कोई कार्यक्रम रखा गया है। जिसमे आरोपी के आने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त कार्यक्रम करीब 03 बजे बाद शुरू होगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर आरोपी के उपस्थित आने की सूचना दी जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्रदान कर कस्बा पीपाड के लिए रूख्स्त किया गया तथा उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के शहर मे अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहे। कुछ समय बाद परिवादी श्री लालाराम ने उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि आरोपी उक्त कार्यक्रम मे उपस्थित नहीं हुआ है। वह जानकारी के मुताबिक जोधपुर मे ही है। आज समय अधिक हो चुका है तथा वह जोधपुर मे ही निवास करता है वह आज पीपाड शहर की ओर नहीं आएगा। अतः कल प्रातः उसकी उपस्थिति के बारे मे जानकारी ली जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेंगी। इस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश प्रदान किये गए एव पीपाड शहर मे ही रात्रि विश्राम हेतु मुकीम हुए। रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु आरोपी के नही आने से दिनांक 19.01.23 को उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ, श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक मय रिश्वत राशि व स्वतन्त्र गवाहान के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के पीपाड शहर रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय अजमेर पहुँचे। दिनांक 15.02.23 को को परिवादी श्री लालाराम गहलोत ने जरिये वाट्स –अप कॉल अवगत कराया कि आज श्री सोमराज आबकारी निरीक्षक के बारे मे सूचना मिली है कि वह अन्य शराब की दुकानो से मंथली वसूलने हेतु निकला है। आज सोमराज मेरी दुकान पर भी आ सकता है। इसलिए आज आगे की कार्यवाही हो सकती है। जिस पर गवाह की तलबी जरिए मोबाईल की गई तो गवाह श्री जितेन्द्र जॉन ऑर ने उपस्थित होने की कहा व अन्य गवाह श्री अतुल कुमार सैन का अवकाश पर होना बताया। जिस पर श्री लखन कानि0 नं0 420 तलबशुदा गवाह स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र खटनावलिया पटवारी को लेकर उपस्थित आया, जिसका परिचय प्राप्त किया गया। इसी दौरान पूर्व से ट्रेप कार्यवाही मे शामिल गवाह श्री जितेन्द्र जॉन ऑर कार्यालय मे उपस्थित आए। उप अधीक्षक पुलिस की आलमारी मे सुरक्षित रखे ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजात निकाले जाकर गवाह श्री देवेन्द्र को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.22 पढकर सुनाया व दिखाया गया। तत्पश्चात फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पढकर सुनायी व दिखायी गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की सीडी को लेपटॉप मे चलाकर वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गए। श्री देवेन्द्र से ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की गई। मन् निरीक्षक पुलिस मीरा बेनीवाल मय श्री कैलाश हैड कानि0 व श्री युवराज सिंह हैड कानि0 के एसीबी एस.यू., अजमेर पहुँचे। उप अधीक्षक

पुलिस ने कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखी रिश्वत राशि लिफाफा 25,000 रू0 निकलवाया जाकर श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक से पूर्व से मुर्तिबशुदा फर्द प्रदर्शन से गवाहान के समक्ष मिलान कराया गया। नोटो के नम्बर हूबहू पाये गए। रिश्वत राशि का लिफाफा श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् श्री राकेश कुमार वर्मा उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ मन निरीक्षक पुलिस, श्री कैलाश हैड कानि0, श्री युवराज सिंह हैड कानि0, श्री राजेश हैड कानि0, श्री भरत सिह कानि.18, श्री लखन कानि0, श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक मय रिश्वत राशि व स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र जॉन ऑर व श्री देवेन्द्र खटवानिया के वॉइस रेकार्डर मय नए मैमोरी कार्ड के कार्यालय के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट अजमेर से रवाना होकर पीपाड शहर पहुचा। जहा गोपनीय स्थान पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी का परिचय गवाह श्री देवेन्द्र से आपस मे कराया गया। परिवादी ने बताया कि मेरे मिलने वालो ने बताया कि आज श्री सोमराज जी मंथली लेने हेतु दुकानो पर घुम रहे है। अभी उनका बिलाडा के आस–पास होना जानकारी मे आया है। वह मेरी दुकान पर मंथली के रूप मे रिश्वत राशि लेने जरूर आएंगे। जिस पर श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक के पास रखी हुई रिश्वत राशि का मिलान पूर्व से बनी फर्द पेशकशी से गवाहान के समक्ष कराया गया। परिवादी ने बताया कि श्री सोमराज रिश्वत की राशि लिफाफे मे या किसी कागज मे लपेट कर ही लेते है। वह कभी भी अपने हाथ मे रूपये नहीं लेते है वह जब अकेले होते है तब गाडी मे किसी भी जगह रखवा देते है तथा चालक के साथ होने पर चालक को देने की कहते है। उनके साथ चालक सुनील बिश्नोई रहता है। जिस पर रिश्वत राशि पीले रंग के कागज मे पुनः रखवायी जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नहीं छुडवाते हुए रिश्वत राशि पीले रंगे के कागज मे रखी सहित श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक से रखवायी गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देने के पश्चात एसीबी टीम की तरफ देखकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरे अथवा अपने मोबाईल से उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल कर सूचना दे। परिवादी के मोबाईल नं0 स्टाफ के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराये गए। गोपनीय स्थान पर संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति की जानकारी हेतु मुकीम हुए। वॉइस रेकार्डर मय नया खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को चालु व बंद करने की समझाईश कर सुपुर्द किया गया। परिवादी ने बताया कि मेरे पास सोमराज के चालक का फोन आया है कि हम थोडी देर मे आ रहे है, तैयार रहना। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को उसकी स्वयं की कार मय हैड कानि0 श्री कैलाश व श्री युवराज सिंह हैड कानि0 के साथ रवाना कर उप अधीक्षक पुलिस मय शेष हमराहियान के सरकारी व प्राईवेट वाहन से परिवादी की शराब की दुकान के लिए रवाना हुआ। श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक को गोपनीय स्थान पर ही छोडा गया। श्री राकेश कुमार वर्मा उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी की शराब की दुकान के आस–पास पहुच अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के आने के इन्तजार मे मुकीम हुए। परिवादी अपनी दुकान के सामने नजर आया। हैड कानि0 श्री युवराज सिह व श्री कैलाश हैड कानि0 दुकान के पास पैट्रोल पम्प की तरफ अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम दिखायी दिए। कुछ समय पश्चात एक बोलेरो वाहन आरजे–19टीए–8405 परिवादी की शराब की दुकान पर आयी। जिसमे से एक व्यक्ति उतरकर परिवादी की शराब की दुकान के सामने खडा हुआ। उक्त शख्स परिवादी व एक अन्य व्यक्ति से बात करता हुआ नजर आया। परिवादी से इसी दौरान मोबाईल पर सम्पर्क किया तो संदिग्ध अधिकारी का अपनी दुकान पर उपस्थित आने बाबत बताया। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुए। समय करीब 06.03 पीएम पर परिवादी श्री लालाराम गहलोत ने उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 8003135139 से उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9784157626 पर किया। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ मन् पु.नि., श्री राजेश कुमार हैड कानि., श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्री लखन कानि., श्री भरत सिह कानि., व स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र खटनावलिया व श्री जितेन्द्र जॉन को ईशारा कर हमराह लेकर मून्दड़ा सर्किल पर स्थित परिवादी से संबन्धित शराब की दुकान भाटी वाईन्स के सामने पहुँचा, जहां पर परिवादी श्री लालाराम गहलोत उपस्थित मिला। परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा। परिवादी द्वारा कुर्सी

पर बैठे एक व्यक्ति जिसने खाकी शर्ट व ब्ल्यू जींस पेंट पहनी रखी थी कि तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री सोमराज आबकारी निरीक्षक है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से 25,000 रूपये रिश्वत राशि अपने बोलेरो वाहन के ड्राईवर श्री सुनील को दिलवायी है। परिवादी द्वारा पास में ही खड़े एक व्यक्ति, जिसने पेंट व शर्ट पहनी रखी थी की ओर ईशारा कर बताया कि यही सुनील हैं, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त दोनो का परिचय पूछा तो कुर्सी पर बैठ व्यक्ति ने खडे होकर अपना नाम सोमराज विश्नोई पुत्र श्री भगवानाराम उम्र 55 साल जाति विश्नोई निवासी प्लाट नं. 9, मारवाड़ अस्पताल के पास, मण्डोर, जोधपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बिलाड़ा, जिला जोधपुर एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुनील विश्नोई पुत्र श्री मांगीलाल विश्नोई उम्र 22 साल निवासी 34, सूर्यनगर, बिजेश कॉलोनी, पुलिस थाना महामन्दिर जोधपुर हाल प्राईवेट वाहन चालक आबकारी कार्यालय, बिलाड़ा, जिला जोधपुर होना बताया। इस पर श्री सोमराज विश्नोई को पूछा कि परिवादी से संबन्धित शराब की दुकान भाटी वाईन्स के संचालन के संबंध में मंथली रिश्वत के रूप में आप द्वारा रिश्वत राशि 25,000 रूपये अपने ड्राईवर को दिलवायी है। इस पर श्री सोमराज ने बताया कि मैने लालाराम को कोई पैसे मेरे ड्राईवर को देने के लिए नही कहा हैं। जिस पर मौके पर मौजूद परिवादी ने सोमराज की बात का खण्डन करते हुए बताया कि अभी–अभी इनके द्वारा ईशारो में रिश्वत राशि मांग कर अपने ड्राईवर सुनील को देने के लिए कहा, जिस पर मै सुनील के पास गया, जो बोलेरो वाहन में बैठा हुआ था। मैने सुनील को 25,000 रूपये, जो पीले लिफाफे में रखे हुए थे, दिये, जो सुनील द्वारा अपने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे रख लिये तथा पूछा कि कितने हैं, मैने कहा पच्चीस हजार हैं। उसके बाद मौका देखकर साईड़ मे जाकर मैने आपको फोन कर रिश्वत का ईशारा कर दिया था। सुनील ने मेरे से एक दारू की बोतल भी मांगी थी, बोतल देने से पहले ही आप लोग आ गये। इस पर श्री सुनील से पूछा तो पहले तो चुप रहा तथा थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि मैने उधार के पैसे लिये है, जिस पर मौके पर मौजूद परिवादी ने सुनील की बात का खण्डन करते हुए कहा कि यह सरासर गलत बोल रहा हैं हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई उधार का लेन–देन नही हैं। जिस पर श्री सुनील से पुनः पूछा तो उसने सोमराज विश्नोई की ओर देखकर कहा कि मैने यह राशि सोमराज विश्नोई के लिए ली हैं, जो अभी–अभी लालाराम जी ने मुझे दी। मैने पहले तो लिफाफा जेब मे रख लिया तथा जब लालाराम जी थोड़े दूर गये तब मैने रूपये गिनकर अपनी जेब में वापस रख लिये थे। श्री सुनील विश्नोई ने पूछने पर बताया कि मैने अभी करीब पांच बजे के लगभग लालाराम जी को फोन करके कहा था कि हम आपकी दुकान पर थोड़ी देर में आ रहे हैं। इस पर सोमराज विश्नोई को पुनः पूछा तो कोई प्रति उत्तर नही दिया और चुप रहा। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग शर्ट व ग्रे रंग की पेंट व कोटी पहनी रखी थी, तेजगति जाने लगा, जिन्हे रोका जाकर नाम पता पूछा तो अपना नाम नाथाराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आबकारी वृत बिलाड़ा होना बताया। श्री नाथाराम ने स्वत् ही बताया कि श्री सोमराज विश्नोई ने मुझे सरकारी काम की कहकर यहां बुलाया था। मौके पर मौजूद सोमराज ने बताया कि इन्हें कुछ पता नहीं है, ये इनोसेंट है, मैने इन्हें सरकारी काम से ही बुलाया था। इस पर श्री नाथाराम को रूकने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् श्री सोमराज व श्री सुनील विश्नोई को हमराह लेकर मय हमराहीयान व परिवादी के परिवादी की दुकान भाटी वाईन्स में प्रवेश किया तथा ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासो को पानी की बोतल से पुनः साफ करवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री सुनील विश्नोई के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ एवं बांये हाथ के धोवण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशियो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशियो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री सुनील विश्नोई की निशादेही से उसकी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र जॉन ऑर से लिवायी गयी तो पेंट की दाहिनी जेब मे से एक पीले रंग का

लिफाफा मिला, जिसके अन्दर 2–2 हजार रूपये के 5 नोट एवं 500–500 रूपये के 30 नोट कुल 25000 रूपये रखे हुए मिले, जिस पर नोटो का मिलान पूर्व मे मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना गवाहान द्वारा बताया गया। जिनका विवरण इस प्रकार हैं :–

1	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0NA	913872
2	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6AM	914636
3	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	1LM	586870
4	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	9FU	595327
5	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	9BK	098635
6	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7DP	562291
7	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1TL	444294
8	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7EF	942254
9	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1LK	738464
10	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8SS	499853
11	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6ML	643549
12	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2KL	137509
13	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7GU	085498
14	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1HB	388618
15	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6DM	049344
16	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6GC	009708
17	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8NC	433931
18	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0MH	770846
19	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7DT	561033
20	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9UA	986419
21	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7EV	493335
22	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CV	823641
23	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AT	383438
24	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6UV	944738
25	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6PD	871399
26	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2SU	632403
27	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3PV	910242
28	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7AH	173583
29	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5TG	689729
30	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4RF	130056
31	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9BW	341652
32	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8MC	299079
33	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4EN	098521
34	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0KT	541656
35	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6CW	337450

उक्त बरामदशुदा नोट श्री जितेन्द्र जॉन ऑर के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी की दुकान के बाहर काफी भीड़–भाड़ होने से उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान, स्वतन्त्र गवाहान, दोनो आरोपीगण, मय जब्तशुदा आर्टिकल, अनुबन्धित वाहन संख्या आर.जे.–19–टीए–8405 (जिससे श्री सोमराज व सुनील आये थे) को श्री नाथाराम व एसीबी स्टॉफ के हमराह लेकर परिवादी की शराब की दुकान भाटी वाईन्स, मून्दड़ा सर्किल पीपाड़ शहर से रवाना होकर पुलिस थाना पीपाड़ शहर पहुॅचा, जहां थानाधिकारी श्री घेवर सिंह से अनुमति प्राप्त कर थानाधिकारी कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई। तत्पश्चात् स्वतन्त्र गवाह के पास सुरक्षित रखवायी गई रिश्वत राशि को पुनः दोनो गवाहान

से गिनवायी गई तो 25,000 रूपये होना एवं नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी के अनुसार होना बताया। इस पर उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 25,000 रूपये के पिछे पीले लिफाफे को लगाकर नोटो एवं लिफाफे पर कागज की चिट लगाकर मार्क 'एन' अंकित कर सिल्ड चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री सोमराज विश्नोई आबकारी निरीक्षक की तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र जॉन ऑर से लिवायी गई तो सोमराज की पहनी हुई कमीज की जेब से 1400 रूपये, एक विभागीय परिचय पत्र, महेन्द्र ट्रडिंग कम्पनी के तीन बिल श्री सोमराज के नाम जारीशुदा, एक आर. जी.एच.एस. कार्ड, एस.बी.आई. ए.टी.एम. कार्ड धारक श्री सोमराज विश्नोई, बोधी इन्टरनेशनल स्कूल में जमा करवाये गये 1 लाख रूपये की प्राप्ति रसीद, एक सेमसंग गेलेक्सी ए–7 बरंग काला मिले, मोबाईल को स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र जॉन कॉर के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा शेष आईटम श्री सोमराज विश्नोई को लोटाये गये। तत्पश्चात् श्री सुनील विश्नोई की तलाशी गवाह श्री देवेन्द्र खटनावलिया से लिवायी गई तो पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में गड्डी के रूप में रूपये मिले। जिनके संबंध में पूछने पर श्री सुनील विश्नोई ने बताया कि ये रूपये मैंने श्री सोमराज से उधार लिये हैं। श्री सुनील से पूछा गया कि ये कितने रूपये है, जिस पर सोमराज की तरफ देखते हुए कहा कि कितने रूपये है इसकी मुझे जानकारी नही हैं। तत्पश्चात् श्री सोमराज से उक्त रूपयो के संबंध में पूछा तो कहा कि हॉ मैने ही पैसे सुनील को उधार दिये है तथा बाद में कहा कि मुझे नही पता, मैने इसे उधार नही दिये हैं। मौके पर मौजूद परिवादी ने बताया कि आज श्री सोमराज जी इन्सपेक्टर साहब अन्य शराब की दुकानो पर भी जाकर आये हैं। यह रूपये निश्चित ही उन दुकानो से ली गई रिश्वत राशि हैं। श्री सुनील की पेंट की बांयी जेब से बरामदशुदा राशि को गवाह श्री देवेन्द्र व श्री जितेन्द्र से गिनवाया गया तो तीन बण्डल के रूप में क्रमशः 20,000, 20,000, 10,000 रूपये कुल 50,000 रूपये होना बताया। उक्त राशि संदिग्ध होना पायी जाने पर जब्त की जाकर कब्जे एसीबी ली गई। श्री सुनील की पेंट की पीछे की जेब में एक पर्स में सुनील का पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सेमसंग कम्पनी का ए–10 मोबाईल मिले, मोबाईल को गवाह श्री देवेन्द्र के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा शेष आईटम सुनील को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् एक लोवर (पजामा) की व्यवस्था करवाकर आरोपी श्री सुनील विश्नोई द्वारा पहनी हुई पेंट को उतरवाकर एक साफ गिलास को पुनः साफ कर थाना परिसर से स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर उपरोक्तानुसार सोडियम कोर्बोनेट पाउडर का घोलकर तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो रंगहीन होना बताने पर उक्त घोल में श्री सुनील विश्नोई की पेंट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो साफ कांच की शीशियो मे आधा–आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पेंट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेंट को सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क ''पी'' अंकित कर कपडे की थैली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थेली को सील्ड कर कब्जे एसीबी लिया गया। इसी दौरान सुरक्षित रखे हुए वॉयस रिकार्डर को मय मेमोरी कार्ड चलाकर सुना गया तो परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वत राशि से संबन्धित वार्तालाप होना पाया गया। कार्यवाही के दौरान साथ लाये वाहन आर.जे.–19–टीए–8405 की तलाशी ली गई तो कोई संदिग्ध वस्तु नही मिलने से उक्त वाहन श्री नाथाराम को मय चाबी के सुपुर्द किया गया। श्री सोमराज विश्नोई एवं श्री सुनील विश्नोई के पास मिले मोबाईल का अवलोकन किया गया तो कोई संदिग्ध वाट्स–अप चैटिंग नही मिली। इस पर उक्त दोनो मोबाईल स्वीच ऑफ करके दोनो आरोपीगण को लौटाये गये। दौराने कार्यवाही परिवादी श्री लालाराम गहलोत द्वारा 500 रूपये के स्टाम्प पर एक भागीदारी विलेख, जो श्री रामप्रकाश चौहान,

जितेन्द्र, तेजाराम व परिवादी श्री लालाराम के मध्य शराब की बिक्री हेतु जारी अनुज्ञा पत्र के संबंधित प्रस्तुत किया। जिसके तीनो पेजों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इस प्रकार आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 एवं 120बी भा.द.सं. का कारित करना पाया जाने पर दोनो आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक–पृथक गिरफ्तार किया गया। फर्द नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किया, जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् उप अधीक्षक पुलिस मय मन् निरीक्षक पुलिस पु.नि., श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0, श्री राजेश कुमार हैड़ कानि0, श्री लखन टेपण कानि0, श्री भरत सिंह कानि0, श्री दामोदर कानि0 मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री देवेन्द्र, श्री जितेन्द्र मय दोनो आरोपीगण श्री सोमराज विश्नोई, श्री सुनील विश्नोई मय जब्तशुदा आर्टिकल मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के प्राईवेट एवं सरकारी वाहन मय चालक श्री मनीष कानि0 के पुलिस थाना पीपाड़ शहर से रवाना होकर दिनांक 16.02.23 को अजमेर पहुॅचे। रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं चार सीडीयां तैयार की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड एवं न्यायालय हेतु एक सीडी को कपड़े की थैली मे सील्ड किया गया। फर्द एवं कपड़े की थैली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सोमराज विश्नोई के जोधपुर स्थित मकान की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियो को निवेदन किया गया। फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय में पेश की जायेगी।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री लालाराम गहलोत पुत्र श्री भीखाराम उम्र 30 साल जाति माली निवासी ग्राम कोसाना, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की भागीदारी की कस्बा पीपाड़ शहर के मून्दड़ा चौराहा पर स्थित भाटी वाईन्स को चलाने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करने की एवज में आरोपी श्री सोमराज विश्नोई आबकारी निरीक्षक वृत बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा रिश्वत के रूप में मासिक बंधी की मांग कर दिनांक 11.01.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 15,000 रूपये प्राप्त कर शेष रिश्वत राशि 25,000 रूपये प्राप्त करने हेतु आज दिनांक 15.02.2023 को अपने ड्राईवर श्री सुनील विश्नोई के साथ परिवादी की शराब की दुकान मून्दड़ा चौराहा पीपाड़ शहर स्थित भाटी वाईन्स पर पहुॅच रिश्वत राशि 25,000 रूपये अपने ड्राईवर श्री सुनील विश्नोई को दिलवाये, जो आरोपी श्री सुनील विश्नोई की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद हुई तथा आरोपी श्री सुनील विश्नोई के दाहिने हाथ, बांये हाथ एवं पेंट की दाहिनी जेब के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया हैं। उक्त रिश्वत राशि के अलावा आरोपी श्री सुनील विश्नोई के पास 50,000 रूपये संदिग्ध राशि मिली। इस प्रकार आरोपी श्री सोमराज विश्नोई पुत्र श्री भगवानाराम उम्र 55 साल जाति विश्नोई निवासी प्लाट नं. 9, मारवाड़ अस्पताल के पास, मण्डोर, जोधपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर आरोपी श्री सुनील विश्नोई पुत्र श्री मांगीलाल विश्नोई उम्र 22 साल निवासी 34, सूर्यनगर, बिजेश कॉलोनी, पुलिस थाना महामन्दिर जोधपुर हाल प्राईवेट वाहन चालक आबकारी कार्यालय, बिलाड़ा, जिला जोधपुर के साथ मिलकर षड़यन्त्र कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अनुतोष के रूप में रिश्वत राशि 25,000 रूपये प्राप्त करना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 एवं 120बी भा.द.सं. का कारित करना पाया जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(मीरा बेनीवाल)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सोमराज विश्नोई, आबकारी निरीक्षक, वृत बिलाड़ा जिला जोधपुर एवं 2. श्री सुनील विश्नोई पुत्र श्री मांगीलाल विश्नोई, प्राईवेट वाहन चालक, आबकारी कार्यालय, बिलाड़ा, जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 41/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 321-24 दिनांक 16.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

16.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।